>

Title: Regarding import of sub-standard wheat supplied at Fair Price Shops in Maharashtra.

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर): अध्यक्ष महोदय, मैं एक अति महत्व विषय की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। केन्द्र सरकार द्वारा गेहूं का आयात किया गया है जिसे महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यह निकृष्ट और लाल रंग का गेहूं है जो खाने के अयोग्य है। मैं माननीय शरद पवार जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस गेहूं के आटे से चपाती नहीं बनती है और जो बनती है, उससे इतनी बदबू आती है। मैं वह गेहूं लाया हूं...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: No, it is not permitted under the rules. यहां मत दिखाइये। आप मिनिस्टर साहब को भिजवा दीजिये।

प्रो. महादेवराव शिवनकर : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की बदनामी नहीं करना चाहता हूं, आपको देता हूं।

MR. SPEAKER: According to the rules, it is not permitted. Again, you are doing the same thing. You are a Professor. इसे मत दिखाइये।

प्रो. महादेवराव शिवनकर : ठीक है, मैं इसे अपने पास रख लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने इस गेहूं को महाराष्ट्र में गढ़चिरौली जिले के कलैक्टर को दिखाया है। गढ़चिरौली जिला बैकवर्ड एरिया है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि यह गेहूं रोटी बनने लायक नहीं है, इसलिये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में इसे डिस्ट्रीब्यूट न करायें। दूसरा, इस गेहूं में यूरिया मिलाया हुआ है, जिन्होंने ऐसा किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये। इस गेहूं को सस्ते अनाज की दुकानों से विदड्रा किया जाये। यह खराब गेहूं है जो बीपीएल के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। मेरा सरकार से आग्रह है कि इसे सस्ते अनाज की दुकानों से विदड्रा करने के लिये तुंत निर्णय ले।[s27]

12.30 hrs.